The Uttaranchal (Uttar Pradesh State University Act, 1973) Adaptation and Modification Order 2001(Amendment) Act, 2003

Act 14 of 2003

Keyword(s):
Faculty, Vacancy in Faculty Position

Amendments appended:10 of 2005, 17 of 2005

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–102

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 30 जून, 2003 ई०
आषाढ़ 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 251/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 30 जून, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28 जून, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 14, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित :–

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) का निरसन

2—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के बाद खण्ड (ङ) का जोड़ा जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के बाद नया खण्ड (ङ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा :—

"अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क)	कुलपति (सम्बन्धित कुलपति, सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्षेत्र हेतु)	अध्यक्ष
(ख)	दो विषय विशेषज्ञ (जिनका स्तर आचार्य/प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कम न हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, जिनमें एक आरक्षित वर्ग का होगा)	सदस्य
(ग)	प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(घ)	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य—सचिव

प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर चयन की प्रक्रिया पद रिक्त होने के कम से कम छः माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एवं विधिवत् चयन के उपरान्त चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति देना आवश्यक होगा।"

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1980) का निरसन

4—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को एतद्द्वारा उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित समझा जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation & Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 14 of 2003).

No. 251/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, June 30, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 28, 2003.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973) (ADAPTATION & MODIFICATIONS ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2003
(Act no. 14 of 2003)

To further Amend in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Adaptation & Modification Order, 2001) in the context of Uttaranchal State

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title, Commencement & Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation & Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may decide by notification in the Gazette.

(3) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

Repeal of the Section 31(4) (c) & (d) of the Principal Act

2. Section 31 (4) (c) & (d) of the Principal Act shall be hereby deemed to have been repealed.

Insertion of clause (e) after sub-section (4) of section 31 of the Principal Act

3. A new clause (e) shall be inserted after sub-section (4) of section 31 of the Principal Act, as follows :–

"The selection committee for the appointment of Principal and Lecturers in aided degree colleges shall consist of–

(a)	Vice- Chancellor (Concerned V.C. for Concerned University Area)	Chairman
(b)	Two subject experts (Nominated by V.C. not below the rank of Professor/ Principal of post graduate college, one of them shall be from reserved category)	Member
(c)	Chairman of Management Committee or member nominated by him	Member
(d)	Director Higher Education	Member-Secretary

The process of selection for the post of Principal and Lecturer shall begin at least six months before the vacancy arises and it shall be imperative on the management of the college concerned to give appointment to the duly selected Principal & Lecturer."

Repeal of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Act, 1980 (Act No. 16 of 1980)

4. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Act, 1980 shall be hereby deemed to have been repealed in the context of Uttaranchal State.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have or taken under this Act.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 विधायी / 188–2003–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या--17

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0

माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 10, सन् 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973), (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नवत् रूप में यह अधिनियमित हो,]

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन

2--उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा--

"ङ (I) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(1) महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य;

(3) एक वरिष्ठ प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (विषय से सम्बन्धित) जिसे प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(4) सम्बन्धित विश्वविद्यालय जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध हो, के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए; तथा

(5) सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कुलपति से अनुमोदित पैनल की सूची में से नामित दो सदस्य, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ उस महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो।

परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति समझी जायेगी, और जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों में से न्यूनतम दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।"

"ङ (II) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(1) शासी निकाय का अध्यक्ष; अध्यक्ष

(2) शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा;

(3) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए;

(4) कुलपित द्वारा अनुमोदित पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकया द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो कि महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का आचार्य तथा आचार्य से अन्यून पंक्ति का एक प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे।

परन्तु कम से कम चार सदस्यों से, जिनमें दो विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति होगी"।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 421/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Second Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 10 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28-11-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 10 OF 2005)

Further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of Uttaranchal State.

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India is follows :–

Short title, Commencement and Extent

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Second Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It extends to the whole State of Uttaranchal.

Substitution of Clause (e) Sub-section (4) of Section 31 of the Principal Act

2. Clause (e) of sub-section (4) of section 31 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) Act, 2003) (hereinafter referred to as 'Principal Act') shall be substituted as follows :--

"e (i) Selection Committee for the appointment of Lecturers in affiliated or associated College (other than a college maintained exclusively by the State Government or by a Local Authority) shall consist of--

(1) Chairperson of the Governing Body of the College or his/her nominee shall be the Chairperson of the Selection Committee;

(2) The Principal of the concerned College;

(3) One senior teacher/Head of the Department (of the subject concerned) having at least ten years experience as lecturer;

(4) Two nominees of the Vice-Chancellor of the affiliating University of whom one should be subject expert;

(5) Two members one of whom is subject expert not of the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the college concerned out of a panel of names approved by the Vice-Chancellor, provided that for the meeting of the Selection Committee presence of five members shall be deemed quorum and the presence of at least two members out of the three subject experts shall be compulsory".

"e (ii) Selection Committee for the appointment of Principal in affiliated or associated College (other than a college maintained exclusively by the State Government or by a Local Authority) shall consist of--

(1) Chairperson of the Governing Board as chairperson;

(2) One member of the Governing Board shall be nominated by the Chairperson;

(3) Two Vice-Chancellor's nominees, out of whom one should be an expert;

(4) Three experts nominated by the Governing Body of the college out of the panel approved by the Vice-Chancellor which is principal of the college, a professor of the university and renowned educationist not below the rank of a professor.

Provided that at least four members, including two subject experts, shall constitute the quorum".

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

क्रम संख्या–56

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल, 2005 ई0
बैशाख 01, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 21 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 20–04–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं0 17, वर्ष 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

मूल अधिनियम का संशोधन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है, में जहां–जहां "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय" शब्द आते हैं, वहां उन शब्दों के स्थान पर "उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार" शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 486/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, April 21, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 17 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20-04-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITY ACT, 1973) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(ACT No. 17 OF 2005)

Further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title & Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Third Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of Principal Act

2. In The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001), herein after referred to as Principal Act, wherever the expression "Sampurnanand Sanskrit University" occurs, the words "Uttaranchal Sanskrit University, Hardwar" shall be substituted.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 विधायी / 158–2005–85+300 (कम्प्यूटर / रीजियो)।